न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 140/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

लाभसिंह पुत्र जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी वादी

बनाम

1. जगसीरसिंह पुत्र गुरदतसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
2. कुलदीपसिंह पुत्र जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
3. जगदेवसिंह पुत्र जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
4. स्वर्णदीपसिंह पुत्र जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट (वादी)
2. औमप्रकाश शर्मा एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 4)

निर्णय दिनांकः– 13.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त परिवार की सांझी कृषि भूमि चक नं 17 ए.एम.पी खाता सख्या 12/88 में 1.012 है. प्रतिवादी नं 2 कुलदीपसिंह के नाम व चक नं 17 ए.एम.पी खाता सख्या 19/11 में 3.921 है0 में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1.096 है. व वादी लाभसिंह के नाम 1.602 है. व प्रतिवादी संख्या 4 स्वर्णदीपसिंह के नाम 1.223 है. व चक नं 17 ए.एम.पी. खाता सख्या 25/88 मे प्रतिवादी संख्या 3 जगदेवसिंह के नाम 0.506 है. व चक नं 15 एम.जे.डी खाता सख्या 48/43 मे प्रतिवादी नं 3 जगदेवसिंह के नाम 1.012 है. व चक नं 15 एम.जे.डी खाता सख्या 181/10 मे प्रतिवादी संख्या 1 जगसीरसिंह के नाम 0.506 है. व चक नं 15 एम.जे.डी खाता सख्या 34/29 मे प्रतिवादी संख्या 1 जगसीरसिंह के नाम 1.001 है. कृषि भूमि है। जिसके हम वादी एवं प्रतिवादीगण विरास्तन खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदीया हमराह दावा प्रस्तुत है। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज सयुक्त कषि भूमि का आपस मे घरु तौर पर विभाजन कर लिया है। मुताबिक घरु विभाजन के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्नप्रकार से कृषि भूमि आई हैः–

1. वादी लाभसिंह पुत्र जगसीरसिंह का हिस्सा व कब्जा काश्त

चक 15 एमजेडी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
126/173	34	3, 4/0.506
126/173	34	5/1/0.215, 5/2/0.038 गै.मु.रास्ता 9,10,11/0.759, कुल 1.012 है. मय गै.मु.
चक 17 एएमपी		
128/158	8	17/0.063 पूर्वी पासा
128/158	8	24/0.063 पूर्वी पासा इस कुल 1.644 है. नहरी

2. प्रतिवादी संख्या 2 कुलदीप पुत्र जगसीरसिंह का हिस्सा व कब्जा काश्त

चक 17 एएमपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
128/158	8	15, 16, 25/0.759
128/158	8	5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु.रास्ता 6/0.253,
128/159	11	1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु.खाला, 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.खाला, 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु.खाला,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

		4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु.खाला,

3. प्रतिवादी संख्या 3 जगदेव सिह 1.581 व प्रतिवादी संख्या 4 स्वर्णदीप सिह 1.265 का हिस्सा व कब्जा काश्त

चक 17 एएमपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
128/159	8	1/1/0.228, 1/2/0.025 गै.मु.रास्ता, 9, 10, 11, 12, 13/1. 265, 18,19,/0.506, 20/1/0.126, 22,23/0.506, 24/0.190

4. प्रतिवादी संख्या 3 जगदेव सिह का हिस्सा व कब्जा काश्त

चक 17 एएमपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
128/158	8	17/0.190

हम वादी एवं प्रतिवादी नं 2 ता 4 अब अपने–अपने परिवार सहित पिता प्रतिवादी नं 1 से अलग रहते है। हमारा मुख्य पेशा कृषि है किन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि मे से पिता प्रतिवादी नं 1 व वादी प्रतिवादीगण के नाम अलग–अलग होने के कारण हम वादीगण को बीज, खाद आदि व भूमि विकास हेतू ऋण लेने में काफी असुविधा होती है, इसलिए वादी घरुबटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई कृषि भूमि का खातेदार क़ाश्तकार घोषित करवा कर खाता तक्सीम करवाने का हकदार एवं दावेदार है। वादी एवं प्रतिवादी नं 1 ता 4 के मध्य घरुतौर पर बटवारा हो चुका है। मुताबिक घरुबटवारा के वादी एंव प्रतिवादी नं 2 के हिस्सा मे वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अकिंत अनुसार हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई है, व प्रतिवादी नं 1 के हिस्सा मे चक नं 15 एम.जे. डी खाता सख्या 34/29 की 1.001 है0 हिस्सा में आई है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार है। वादी ने कई दफा प्रतिवादी नं 1 ता 4 से अनुनय विनय की कि घरुबटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई कृषि भूमि का मुझे खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम से अमल दरामद करवा दो एवं अपना अपना खाता तक्सीम करवा लो किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे एवं अंत मे पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित समस्त कृषि भूमि हमारी विरास्तन है वादी एवं प्रतिवादी नं 2 ता 4 अपने पिता प्रतिवादी नं 1 से अलग–अलग रहकरघरुबटवारा मुताबिक हिस्सा व कब्जा काश्त मे आई कृषि भूमि पर काश्त करते है इसलिए हम वादीगण को भूमि काश्त हेतू बीज, खाद के लिये ऋण की आवश्यकता बनी रहती है। अत वादी को घरुबटवारा मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि का विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादी को कभी न पुरा होने वाला नुक्सान होगा जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार से धंन से न हो सकेगी। प्रतिवादी नं 5 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार बनाया है इन से किसी प्रकार को डायरेक्ट अनुतोष नही चाहा गया है। दावा बाबत इस्तकरार हक व खाता तक्सीम का है जो उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है व अंदर मियाद है।

लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमावे कि क– घोषित करे कि वादी चक नं 15 एम.जे.डी खाता सख्या 181/10 में 0.506 है0 व खाता सख्या 48/43 मे 1.012 है0 व चक नं 17 ए.एम.पी खाता सख्या 12/88 मे 0.063 है. व खाता सख्या 19/11 में 0.063 हैं. का खातेदार काश्तकार है व चक नं 15 एम.जे.डी खाता सख्या 181/10 में प्रतिवादी नं 1 व खाता सख्या 48/43 मे प्रतिवादी नं 3 का नाम कलमजन किया जावे व चक नं 17 ए.एम.पी खाता सख्या 12/88 मे प्रतिवादी नं 2 का 0.063 है. हिस्सा कम किया जावे एंव चक नं 17 ए.एम.पी खाता सख्या 19/11 मे वादी का 1.539 है. हिस्सा कम किया जाकर प्रतिवादीगण का हिस्सा बढ़ाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
मंगरिया

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 5 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। प्रकरण में राजीनामा पेश हो जाने के कारण वादी/प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने पर साक्ष्य वादी एव प्रतिवादीगण बन्द किये गये। तथा वकील वादी ने फार्म नम्बर 3 के साथ निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये:–

1. चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 12/88 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 1
2. चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 19/11 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 2
3. चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 25/88 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 3
4. चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 48/43 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 4
5. चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 181/10 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 5
6. चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 34/29 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 6
7. चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 9/10 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 की जमाबंदी प्रदर्श 7

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एव प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं वाद पत्र में वर्णित आराजी संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है जिसका हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 12/88 जमांबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 19/11 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 25/88 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 48/43 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 181/10 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 34/29 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी/प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 12/88 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 19/11 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 व चक 17 ए.एम.पी. खाता सं. 25/88 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एवं चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 48/43 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 तथा चक 15 एम.जे.डी. खाता सं. 181/10 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 नहरी मय गै.मु.आराजी मे निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार इनका हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कम / ज्यादा / नाम कलमजन किये जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः—

1 वादी लाभसिंह पुत्र जगसीरसिंह का हिस्सा व कब्जा काश्त

चक 15 एमजेडी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
126 / 173	34	3, 4 / 0.506
126 / 173	34	5 / 1 / 0.215, 5 / 2 / 0.038 गै.मु.रास्ता 9,10,11 / 0.759, कुल 1.012 है. मय गै.मु.
चक 17 एएमपी		
128 / 158	8	17 / 0.063 पूर्वी पासा
128 / 158	8	24 / 0.063 पूर्वी पासा इस कुल 1.644 है. नहरी

2 प्रतिवादी संख्या 2 कुलदीप पुत्र जगसीरसिंह का हिस्सा व कब्जा काश्त

चक 17 एएमपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
128 / 158	8	15, 16, 25 / 0.759
128 / 158	8	5 / 1 / 0.228, 5 / 2 / 0.025 गै.मु.रास्ता 6 / 0.253,
128 / 159	11	1 / 1 / 0.228, 1 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला, 2 / 1 / 0.228, 2 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला, 3 / 1 / 0.228, 3 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला, 4 / 1 / 0.228, 4 / 2 / 0.025 गै.मु.खाला,

3 प्रतिवादी संख्या 3 जगदेव सिह 1.581 व प्रतिवादी संख्या 4 स्वर्णदीप सिह 1.265 का हिस्सा व कब्जा काश्त

चक 17 एएमपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
128 / 159	8	1 / 1 / 0.228, 1 / 2 / 0.025 गै.मु.रास्ता, 9, 10, 11, 12, 13 / 1.265, 18,19, / 0.506, 20 / 1 / 0.126, 22,23 / 0.506, 24 / 0.190

4 प्रतिवादी संख्या 3 जगदेव सिह का हिस्सा व कब्जा काश्त

चक 17 एएमपी		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
128 / 158	8	17 / 0.190

अतः उक्तानुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। ख़र्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13/4/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया